राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

प्रेषित:- (1) भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर ।
(2) समस्त जिला कलेक्टर, जयपुर ।

विधान सभा
तारांकित

क्रमांक:- प. 11(27)राज-6/97/12 जयपुर, दिनांक:- 3-8-2000

विषय:- मंदिर देवमूर्ति की खातेदारी भूमि में देवमूर्ति के साथ पुजारी के नाम के संबंध में ।

संदर्भ:- विभागीय सम संख्यक पत्र दिनांक 18.3.2000

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निदेशानुसार लेख है कि विभाग द्वारा परिपत्र संख्या प. 2(4)राज-4/90/38 दिनांक 13.12.91 द्वारा दिये गये निर्देश जो निम्न प्रकार है :-

1. भविष्य में जो जमाबन्दी राजस्व विभाग या बन्दोबस्त विभाग द्वारा बताई जावें उनमें देवमूर्ति के साथ पुजारी या शिवायत का नाम नहीं लिखा जावे ।

2. प्रशासनिक सुविधा के लिए एक रजिस्टर मंदिर के पुजारियों के संबंध में तहसील स्तर पर संलग्न प्रोफार्मा में अलग से रखा जावे । जिसमें जिन मंदिरों के पास कृषि भूमि है उनके पुजारियों के नाम का अंकन किया जावे ।

3. जो जमाबन्दी बन चुकी है तथा वर्तमान में प्रभाव में है उनमें देवमूर्ति के साथ जहां भी पुजारी का नाम आया है वहां पुजारी का नाम विलोपित कर दिया जाये तथा ऊपर वर्णित रजिस्टर में लिखा जावे। इस बाबत् जमाबंदी के रिमार्क के कॉलम में अंकित किया जावे ।

की सूचना प्राथमिकता के साथ एकत्रित कर 15 दिवस में भिजवाने हेतु निवेदन किया गया था, किन्तु उक्त सूचना आदिनांक विभाग में प्राप्त नहीं हुई है । अत: पुन: लेख है कि चाही गई वांछित सूचना अविलम्ब इस विभाग को भिजवाये, ताकि सूचना विधान सभा को भिजवाई जा सके ।

भवदीय,
3/8/2000
शासन उप सचिव